



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 139]
No. 139]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 8, 1982/चैत्र 18, 1904
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 8, 1982/CHAITRA 18, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1982

कां० धा० 263 (अ)/18कक/आई० डी० भार० ए०/82:—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पूर्वपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० धा० 602 (अ)/18कक/आई० डी० भार० ए०/74, तारीख 9 अक्टूबर, 1974 द्वारा उसमें विनिश्चित व्यक्ति निकाय को 9 अक्टूबर, 1974 से प्रारम्भ होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए मैसर्स मोटर एण्ड मशीनरी मैनुफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० धा० 567 (अ)/18कक/आई० डी० भार० ए०/78, तारीख 25 सितम्बर, 1978 द्वारा उक्त व्यक्ति निकाय के स्थान पर उक्त औद्योगिक उपक्रम के मुख्य अधिशासक श्री पी० एन० रामचन्द्रन को प्रतिस्थापित किया गया था ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० धा० 572 (अ)/18कक/आई० डी० भार० ए०/79,

तारीख 8 अक्टूबर, 1979 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 8 अक्टूबर, 1981 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० धा० 886 (अ)/18कक/आई० डी० भार० ए०/80, तारीख 29 अक्टूबर, 1980 द्वारा भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, कलकत्ता के उप महाप्रबंधक श्री के० एम० बनर्जी को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० धा० सं० 738/18कक/आई० डी० भार० ए०/81, तारीख 6 अक्टूबर, 1981 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 8 अप्रैल, 1982 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश छह मास की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहना चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) के परस्पर के साथ पठित धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निवेश देती है कि उक्त आदेश 8 अक्टूबर, 1982 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[का० सं० 2(23)/78-सी० यू० एस०]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 8th April, 1982

S.O. 263(E)/18AA/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 602(E)/18AA/IDRA/74, dated the 9th October, 1974 (hereinafter referred to as the said Order) made in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government authorised a body of persons specified therein to take over the management of Messrs. Motor and Machinery Manufacturers Limited, Calcutta, for a period of five years commencing from the 9th October, 1974 and the said body of persons was replaced by Shri P. N. Ramachandran, Chief Executive of the said industrial undertaking by Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 367(E)/18AA/IDRA/78, dated the 25th September, 1978;

And whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 572(E)/18AA/IDRA/79, dated the 8th October, 1979, the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 8th October, 1981;

And whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 866(E)/18AA/IDRA/80, dated the 29th October, 1980, the Central Government authorised Shri K. M. Banerjee, Deputy General Manager, Bharat Heavy Electricals Limited, Calcutta to take over the management of the said industrial undertaking;

And whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 738/18AA/IDRA/81, dated the 6th October, 1981, the duration of the said Order was further extended upto and inclusive of the 8th April, 1982;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA read with proviso to sub-section (2) of section 18A, of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 8th October, 1982.

[F. No. 2(23)/79-CUS]

क्र० मा० 264(अ)/18अ/आई० डी० आर० ए०/82:—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18अ की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० क्र० मा० 37 (अ)/18अ/आई० डी० आर० ए०/75, तारीख 17 जनवरी, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से

ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखनों का (उनसे भिन्न, जो तैकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं) जिनका मीसर्स मोटर एण्ड मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हों प्रवर्तन उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे;

और उक्त आदेश की अवधि 8 अप्रैल, 1982 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 8 अक्टूबर, 1982 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिए बढ़ा दी जानी चाहिए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18अ की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 8 अक्टूबर, 1982 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[क्र० सं० 2(23)/79-सी० यू० एस०]

सी० के० मोदी, संयुक्त सचिव

S.O. 264(E)/18FB/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 37(E)/18FB/IDRA/75, dated the 17th January, 1975, (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs. Motor and Machinery Manufacturers Limited, Calcutta, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year from such date and that all the rights, privileges, obligations and liabilities, accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas the duration of the said Order was further extended upto and inclusive of the 8th April, 1982,

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto and inclusive of the 8th October, 1982;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 8th October, 1982.

[F. No. 2(23)/79-CUS]

C. K. MODI, Jt. Secy.